उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या-14/2020/122डी/अड़तीस-9-20-03(बजट)/2020टी0सी0-3

लखनऊ : दिनांक-31 मार्च, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-13** के अन्तर्गत निम्नवत् तालिका के कालम-2 में अंकित लेखा शीर्षक के मानक मद में हो रही कुल बचत रू0 111.00 लाख (रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख मात्र), जिसका विवरण कालम-3 में है, को पुनर्ग्रहण हेतु वित्त विभाग को समर्पित किया जाता है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रं0सं0	लेखा शीर्षक के विवरण	बचत/ समर्पित धनराशि
1	2	3
1	"2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-0401-उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)" के नामे	111.00
कुल योग-		111.00

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

संख्या- यू0ओ0-ई-2-366/दस-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त रू0 111.00 लाख (रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख मात्र), की बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्ग्रहण कर ली गयी है।

आज्ञा से,

नीलेश कुमार सिंह
उप सचिव।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या-14/2020/122डी(1)/अड़तीस-9-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/3
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in